Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

49-2025/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MARCH 12, 2025 (PHALGUNA 21, 1946 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 12th March, 2025

No. 8-HLA of 2025/11/4780.— The Insecticides (Haryana Amendment) Bill, 2025 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 8- HLA of 2025

THE INSECTICIDES (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2025

A

BILL

further to amend the Insecticides Act, 1968.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Insecticides (Haryana Amendment) Act, 2025.

Amendment of section 29 of Central Act 46 of 1968.

2. For sub-clauses (i) and (ii) of sub-section (1) of section 29 of the Insecticides Act, 1968, the following sub-clauses shall be substituted, namely:-

"(i) for the first offence, with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to two years and shall also be liable to fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to three lakh rupees;

(ii) for the second and a subsequent offence, with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to three years and shall also be liable to fine which shall not be less than three lakh rupees but which may extend to five lakh rupees." .

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Insecticides Act, 1968 is enacted to regulate the import, manufacture, sale, transport, distribution and use of insecticides with a view to prevent risk to human beings or animals and for matters connected therewith.

It is noticed that, many manufacturers, dealers and sellers are engaged in manufacture, sale, import, transport and distribution of misbranded insecticides. Farmers purchase such insecticides which do not give results for controlling pests and diseases rather than resulting into wastage of money and hard work of the farmers. The same is also resulting into not only increase of cost of crop production but also into loss of economy including endanger to the crop health, human health and environment. Therefore the Govt. of Haryana considers it expedient to prevent sale of misbranded Insecticides and for that purpose substitute the sub clause (i) and (ii) of sub section 1 of section 29 of the Insecticides Act, 1968, in its application to the State of Haryana.

The bill seeks to achieve the above objectives.

Hence, this Bill.

SHYAM SINGH RANA,
Agriculture Minister,
Haryana.

Chandigarh:
The 12th March, 2025.

DR. SATISH KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2025 का विधेयक संख्या 8 एच.एल.ए.

कीटनाशी (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2025
कीटनाशी अधिनियम, 1968 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. (1) यह अधिनियम कीटनाशी (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 29 की उप–धारा (1) के उप–खण्ड (i) और (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:– 1968 के केन्द्रीय अधिनियम 46 की धारा 29 का संशोधन।

''(i) प्रथम अपराध के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रूपए से कम नहीं होगा किन्तु जो तीन लाख रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा;

(ii) द्वितीय तथा पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो तीन लाख रूपए से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

कीटनाशी अधिनियम, 1968, मानवता या पशुओं के जोखिम को रोकने की दृष्टि से कीटनाशी के आयात, विनिर्माण, विक्रय, परिवहन, वितरण तथा उपयोग को विनियमित करने तथा इससे सम्बन्धित मामलों के लिए अधिनियमित किया गया है।

यह ध्यान में आया है कि बहुत से विनिर्माता, व्यापारी तथा विक्रेता मिथ्या छापवाले कीटनाशकों के विनिर्माण, विक्रय, आयात, परिवहन तथा वितरण में लगे हुए हैं। किसान ऐसे कीटनाशों को खरीदते हैं जो किसानों के धन तथा कड़ी मेहनत की हानि के परिणाम की अपेक्षा महामारी तथा बीमारी को नियन्त्रण करने का परिणाम नहीं देते हैं। वह न केवल फसल उत्पादन की लागत में बढ़ोतरी के परिणामिक हैं बल्कि फसल स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य, तथा पर्यावरण के जोखिम सहित अर्थव्यवस्था की हानि के परिणामिक भी है। इसलिए हरियाणा सरकार ने मिथ्या छापवाले कीटनाशी के विक्रय को रोकने के लिए इसे उचित समझा है तथा इस प्रयोजन के लिए कीटनाशी अधिनियम, 1968 हरियाणा राज्यार्थ की धारा 29 की उपधारा (1) के उपखण्ड (i) तथा (ii) प्रतिस्थापित किया गया है।

विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

अतः यह विधेयक है।

श्याम सिंह राणा,
कृषि मंत्री, हरियाणा।

———————————

चण्डीगढ़:
दिनांक 12 मार्च, 2025.

डॉ० सतीश कुमार,
सचिव।

11716—H.V.S.—H.G.P., Pkl.